an>

Title: Need to amend the guidelines of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana to facilitate construction of roads all habitations in desert areas of Barmer Parliamentary Constituency, Rajasthan.

कर्नल सोनाराम चौधरी **(बाड़मेर) :** "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के तहत जो देश में सड़कों का जाल बिछा है, उसके लिए देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कृतज्ञ है। उनकी दूरदृष्टि सोच का नतीजा है कि देश के दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों पर भी सड़क पहुंच गई है और सड़क के माध्यम से उन गांवों तक विकास पहुंचा है। आवागमन के साधनों के साथ ही आधुनिक सुविधाएं भी पहुंच पाई हैं। जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वह "थार" है। बाड़मेर-जैसलमेर लोक सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 56,779 वर्ग किमी. एवं जनसंख्या 32,73,360 है। पी.एम.जी.एस.वाई. से क्षेत्र में सड़कों का बहुत काम हुआ है। इस क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी के हैबिटेशन को डामर सड़कों से जोड़ने का प्रावधान किया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि यहां बसावट छितराई ढाणियों में है जो खेतों में अलग-अलग बसी है। यहां सामूहिक रूप से गांवों एवं आबादी की बसावट नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मार्गदर्शिका के पैरा नम्बर 2.1 में यह मानदण्ड है कि 250 या उससे अधिक आबादी के हैबीटेशन को डामर सड़क से जोड़ा जाए। इस प्रकार से मरूस्थलीय क्षेत्र में तो 50 प्रतिशत से अधिक आबादी सड़कों से वंचित रह जाएगी। दुर्गम, विषम भौगोलिक स्थिति, अभावग्रस्त एवं पिछड़े इस इलाके में जहां गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, धूलभरी आंधियां चलती है जिससे मार्ग बंद हो जाते हैं। आवागमन के साधन नहीं होने के कारण बच्चों को शिक्षा अर्जन के लिए, वृद्ध एवं महिलाओं को चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए एवं अन्य जीवनोपार्जन हेतु रोजगार एवं व्यापार आदि के ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल की जनता को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। इस संबंध में मेरे द्वारा 04.12.2014 को प्रश्नकाल में भी आग्रह किया गया था।

अतः मेरा माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह है कि इस अभावग्रस्त, मरूस्थलीय एवं भौगोलिक विषमताओं को मद्देनजर रखते हुए पी.एम.जी.एस.वाई. की गाइड लाइन के निर्धारित मानदंडों में

निम्नानुसार संशोधन किया जाना जनहित में अनिवार्य है - Para No. 2.1 Guide Line PMGSY April 2012 "In desert area the objective would be to connect eligible unconnected Habitations with a population of 100 persons and above" Para No. 3. "The Population of habitations within a radius of 1.500 Km may be clubbed together for the purpose of determining the population size" यदि इस प्रकार मरूस्थलीय (Desert) क्षेत्र हेतु इस प्रकार का संशोधन होता है तो यह पिछड़ा क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा एवं स्थानीय जनता केन्द्र सरकार एवं आपकी मंशा के अनुरूप विकास का अनुभव करेगी और आपकी कृतज्ञ रहेगी।